# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
## बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

**मुकदमा सं. 06/2006**

**प्रार्थी**

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही।

***बनाम***

**अप्रार्थी**

1. श्रीमती प्रेमकुंवर पत्नि श्री कुलदीपसिंह खींची निवासी कालन्द्री फर्म आशापुरा फिलींग स्टेशन कृष्णगंज रिटेल आउटलेट (आईबीपी कम्पनी लि.)

**प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**

**उपस्थिति :–**

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

## *निर्णय*

दिनांक 04.05.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2006 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा माँ आशापुरा फिलिंग स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण 698 लीटर डीजल स्टॉक रजिस्टर से अधिक होने का अनुज्ञाधारी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया जिसे कब्जे सरकार लिया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं दस्तावेज पेश किए जो शामिल मिसल किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 27.09.2006 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा [illegible] का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण स्टॉक रजि[illegible] जल का दिनांक 07.09.2006 को 278 लीटर डीजल तथा [illegible] का 28.08.200[illegible] 447 लीटर दर्ज था। फर्म ने स्टॉक रजि[illegible] नहीं किया हुआ था। स्टॉक रजिस्टर अनुसार 06.09.2006 [illegible] की नोजल की रीडिं[illegible] एवं व्वत निरीक्षण 97941.7 लीटर थी इसी प्रकार टैंक नम्बर दो की रीडिं[illegible] 2006 को 38922 थी एवं वक्त निरीक्षण 38922.9 लीटर थी। दोनों नोजलों से 06.09.2006

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:21:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से 27.09.2006 तक कुल 39701.6 लीटर डीजल की बिक्री हुई। 06.09.2006 को अनुज्ञाधारी के पास 278 लीटर स्टॉक में था तथा चैक करने पर 698 लीटर डीजल अधिक का अनुज्ञाधारी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया जो कि रेकर्ड अनुसार 420 लीटर भूमिगत टेंकों में अधिक पाया गया। अनुज्ञाधारी के स्टॉक रजिस्टर अनुसार 14.08.2006 से 27.09.2006 तक डीजल का स्टॉक 278 लीटर ही है। अनुज्ञाधारी ने इस अवधि में डीजल का विक्रय भी किया जो कि मीटरों की टोटेलाइजर रीडिंग अनुसार 39701.6 होता है। इस विक्रय के अनुज्ञाधारी ने विक्रय सम्बन्धी बिल भी जारी किए है इन बिलों में 41 बिल अपठनीय है। डीजल विक्रय कर जारी किए गए डीजल के बिलों की कुल मात्रा 17294.22 लीटर हुई। उक्त फर्म के मैनेजर श्री कुलदीपसिंह ने मौके पर बताया कि उक्त विक्रय किया गया डीजल वैष्णोदेवी फिलिंग स्टेशन मण्डार रोड सिरोही से क्रय करके लाया गया था। मौके पर उक्त फर्म से डीजल क्रय के पांच बिल भी जब्त किए गए है। इस प्रकार अनुज्ञाधारी द्वारा डीजल का अवैध क्रय विक्रय किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज स्टॉक के मुकाबले भौतिक सत्यापन पर 698 लीटर डीजल अधिक पाया गया जो कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया ने दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त डीजल को उनके मालिकी का होने से लौटाये जाने के आदेश प्रदान करावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही के निर्णय की प्रति पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी को दोषमुक्त करार दिया गया है।

प्रार्थी पक्ष अप्रार्थी अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 27.09.2006 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा माँ आशापुरा फिलिंग स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर में डीजल का दिनांक 07.09.2006 को 278 लीटर डीजल तथा पेट्रोल का 28.08.2006 को प्रारम्भिक स्टॉक 447 लीटर दर्ज था। फर्म ने स्टॉक रजिस्टर का प्रतिदिन दैनिक संधारण नहीं किया हुआ था। स्टॉक रजिस्टर अनुसार 06.09.2006 को टेंक नम्बर एक की नोजल की रीडींग 58241 एवं वक्त निरीक्षण 97941.7 लीटर थी इसी प्रकार टेंक नम्बर दो की रीडींग 06.09.2006 को 38922 थी एवं वक्त निरीक्षण 38922.9 लीटर थी। दोनों नोजलों से 06.09.2006 से 27.09.2006 तक कुल 39701.6 लीटर डीजल की बिक्री हुई। 06.09.2006 को अनुज्ञाधारी के पास 278 लीटर स्टॉक में था तथा चैक करने पर 698 लीटर डीजल अधिक का अनुज्ञाधारी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया जो कि रेकर्ड अनुसार 420 लीटर भूमिगत टेंकों में अधिक पाया गया। अनुज्ञाधारी के स्टॉक रजिस्टर अनुसार 14.08.2006 से 27.09.2006 तक डीजल का स्टॉक 278 लीटर ही है। अनुज्ञाधारी ने इस अवधि में डीजल का विक्रय भी किया जो कि मीटरों की टोटेलाइजर रीडिंग अनुसार 39701.6 होता है। इस विक्रय के अनुज्ञाधारी ने विक्रय सम्बन्धी बिल भी जारी किए है इन बिलों में 41 बिल अपठनीय

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 10:21:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है। डीजल विक्रय कर जारी किए गए डीजल के बिलों की कुल मात्रा 17294.22 लीटर हुई। उक्त फर्म के मैनेजर श्री कुलदीपसिंह ने मौके पर बताया कि उक्त विक्रय किया गया डीजल वैष्णोदेवी फिलिंग स्टेशन मण्डार रोड सिरोही से क्रय करके लाया गया था। मौके पर उक्त फर्म से डीजल क्रय के पांच बिल भी जब्त किए गए है। इस प्रकार अनुज्ञाधारी द्वारा डीजल का अवैध क्रय विक्रय किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज स्टॉक के मुकाबले भौतिक सत्यापन पर 698 लीटर डीजल अधिक पाया गया जो कब्जे सरकार लिया जाकर यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु पेश किया। चूंकि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा अप्रार्थी को दोषमुक्त करार दिया गया है परन्तु कब्जे सरकार लिए गए डीजल पर अप्रार्थी अपना मालिकाना हक साबित करने में असफल रहा। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 698 लीटर डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए डीजल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें। चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:21:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner